

हिलव्यू समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746



hillviewsamachar@gmail.com

जयपुर » मंगलवार, 14 जून, 2022

खबर-बेखबर

शालिनी श्रीवास्तव

आखिर क्यों फलफूल रहे हैं अवैध रेस्टोरेंट और ढाबे



जेडीए, नगर निगम व सम्बंधित थाने की मौन मूक सहमति और समझौते एवं सरकार की इस संबंध में अस्पष्ट नीतियाँ व ढुलमुल नियम-निर्देश इसका सबसे बड़ा कारण हैं। फूड लाइसेंस बना देने और RMA लाइसेंस की मात्र औपचारिकता पूरी करवाकर उसे ठंडे बस्ते में डालकर अवैध रेस्टोरेंट व ढाबों को किस अनैतिक और अंधी दौड़ में ले जा रहे हैं सरकार के दोहरे नियम ?

‘एक ही सरकार के दो विभाग एक ही विषय पर दो नियम क्यों?’

होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबा आदि लगातार कुकुरमुते से शहर में आये दिन उभ रहे हैं। कभी किसी गली में, कभी नुकड़ पर, कभी कॉलोनी में, कभी मेन रोड पर लेकिन अनायास नहीं पूरी तैयारी के साथ और वह भी आवासीय भवनों में।

एक तरफ FASSAI का लाइसेंस लेकर यह खाद्य व्यवसाय आवासीय भवनों में धड़ल्ले से फलफूल रहे हैं और दूसरी ओर निगम RMA लाइसेंस उन्हें इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबा आदि के संचालन के लिए आवासीय नहीं बल्कि व्यवसायिक भवन का होना अनिवार्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात RMA लाइसेंस की परवाह किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबा आदि के संचालक को नहीं क्योंकि निगम की नाक के नीचे एक नहीं अनेकों होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबे बिना आरएमए लाइसेंस के चल रहे हैं। निगम के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि किस-किस होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे को बंद करें, सभी आवासीय भवनों में संचालित हैं यानी बुलाई या अपराध का पैमाना अगर बड़े स्तर पर होगा तो सरकारी नियमों के घुटने टिकवाए जा सकते हैं? सरकारी नियमों को ताक में रखा जा सकता है?

सरकार की इस ढुलमुल व अस्पष्ट नीति के कारण सरकार के ही दो विभाग नगर निगम और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय किस तरह सरकार के रेवेन्यू को चूना लगा रहे हैं यह चिंतनीय विषय है।

पुनः स्मरण हो कि खाद्य व्यवसाय में एक विभाग CMHO The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) लाइसेंस जारी करता है और दूसरा लाइसेंस RMA नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है यानी Return Merchandise Authorization लाइसेंस। निगम RMA लाइसेंस इसीलिए अटकता है क्योंकि ज्यादातर आवेदन वो होते हैं जो आवासीय भूमि या भवन में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं।

अब तर्क ये है कि FASSAI का लाइसेंस भी अगर इसी शर्त पर अगर दिया जाने लगे कि भवन या भूमि व्यवसायिक है तो ही यह लाइसेंस जारी किया जा सकता है तो यह कुकुरमुते से उगते अवैध रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल जल्द लुप्त हो जाएंगे। लेकिन अफसोस सरकार में बैठे उच्च पदाधिकारी का इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं। रेवेन्यू को चूना लगे या मिट्टी उनके खाते में लगातार तनख्वाह पहुँचनी चाहिए। इस संबंध में कोई सुझाव सरकार में यह अफसर क्यों नहीं दे रहे? क्यों सरकार का ध्यानकर्षण इस ओर नहीं करवाया जा रहा है कि अगर इस पर स्पष्ट व कठोर नियम, कानून, क़ायदे बनाए जाएँ तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है?

आइये एक नज़र डालते हैं कि आखिर इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है ?

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

- 14 मई को नगर निगम ग्रेटर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रश्मि काँकरिया के संज्ञान में एक इसी तरह का मामला लाया गया कि देशी तड़का मालवीय नगर में बिना फूड लाइसेंस के लम्बे समय और आवासीय भवन में चल रहा है।
- 17 मई को रश्मि काँकरिया ने नोटिस दे देशी तड़का को थमा दिया जिसके तहत देशी तड़का को 7 दिन में जवाब देना था मगर देशी तड़का का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया।
- उसके बाद 30 मई को दुबारा रिमाइंडर नोटिस दिया गया जिसमें 3 दिन की समय सीमा में स्पष्टीकरण हेतु कहा गया।
- लेकिन देशी तड़का का RMA लाइसेंस फिर भी नहीं बना। यह नगर निगम का अंतिम नोटिस था। जिसकी कॉपी चित्र में दी गयी है। जिसमें निगमों का खाला देते हुए देशी तड़का को सील बन्द करने की अंतिम चेतावनी भी दी गयी है।
- लेकिन फिलहाल देशी तड़का लगातार तड़का लगा रहा है यानी चलायमान है।

दूसरी ओर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, आदर्शनगर राजापार्क

- 17 को नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जो नोटिस दिया उसके आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ सेकेंड) डॉ हंसराज भदालिया के संज्ञान में यह मामला लाया गया।
- सीएमएचओ सेकेंड ने अपने अधीनस्थ अधिकारी व अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी को आदेश दिए कि मामले की जाँच करके शीघ्र उस पर कार्यवाही करें।
- फूड इस्पेक्टर दीपक सिंधी मामला टालते रहे और देशी तड़का को पूरा समय दिया कि वो लीगल औपचारिकता पूर्ण कर लें। दीपक सिंधी ने पर्याप्त समय के लेकर पार्टी से मिली भगत करके फूड लाइसेंस बनवा दिया।
- इस संबंध में सीएमएचओ सेकेण्ड भदालिया के समक्ष पूरा मामला पुनः लाया गया। उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए दीपक सिंधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

इन बातों का औचित्य ?

- सरकारी खजाने में इजाफ़ा करने वाले स्रोतों की अनदेखी, लापरवाही या मिलीभगत कर चूना लगाने की प्रवृत्ति सरकारी विभागों में कितनी बढ़ गयी है?
- इन अवैध व्यवसायों के फलते-फूलते व्यापार का विपरीत असर है ट्रैफिक जाम और शहर की शांत आवासीय कॉलोनियों का सुख-चैन छिन गया है।
- आवासीय में व्यवसाय होने के कारण RMA लाइसेंस न देना उचित है लेकिन उसके बावजूद उन होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबों का चलना नगर निगम जयपुर की कार्यप्रणाली व कार्यनीति पर कई प्रश्न खड़े करता है।

दिन-ब-दिन महियों की आवा में गमकता जा रहा है गुलाबी शहर जयपुर



‘नगर निगम आपके द्वार’ अभियान के तहत मालवीय नगर दौरे पर जाने वाले ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त व उनके जत्थे को ये अवैध, बिना आरएमए लाइसेंस, बिना अनुमति चलते होटल, रेस्टोरेंट, कैफे नज़र क्यों नहीं आये?

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। शहर में हर गली, मार्ग में आवासीय भवनों में लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, बेकरी या ढाबे आये दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कोई सख्त नियम इन पर लागू नहीं और अगर हैं तो सख्ती की जगह आपसी समझौते ने ले ली है। ठेले वाले सौ रुपये के हफ्ते में और होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हजारों रुपये हफ्ते में नगर-निगम, जेडीए और अन्य सम्बंधित विभागों की छत्रछाया में फैलते जा रहे हैं।

राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी गुलाबी शहर की शांत फिज़ाओं में जहर घोलने वाली दुर्घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी राजापार्क के बीस दुकान स्थित तड़का रेस्टोरेंट में आगजनी हो जाती है तो कभी गोविंद मार्ग पर सुबह सवेरे 6 बजे बार से निकली नशे में धुत, धनवानों की बिगड़ी संतानें किसी घर के दो मासूम चरागों को बुझाती हुई फरिद से निकल जाती हैं। कभी टॉक रोड के रूफ टॉप रेस्त्रा में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो कभी किसी बार या कैफे के बाहर पार्किंग को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह थी बीस दुकान तड़का रेस्टोरेंट के ऊपर स्वयं मालिक का निवास था। इस आगजनी से पति-पत्नी दोनों झुलस गए लेकिन मामले को आग की तरह पानी से बुझा दिया गया।

शाम ढलते ही राजापार्क, मालवीय नगर, वैशाली नगर जैसे सभी रियल्टी शोश इलाके जगमगा उठते हैं। कैफे, बार, रेस्टोरेंट, ढाबों पर उमड़ती भीड़ व चौपाटी के चक्के ने यहाँ की आवासीय सुख-चैन को लील लिया है। सड़क चाहे 40 फिट हो या 100 फीट की वह कारों से शाम को लंबालंब भर जाती हैं। बीच रोड पर वाहन खड़े होना आम बात है। उस पर बोनट का डायनिंग टेबल बन जाना या कार में डिनर करना फैशन या आधुनिकता का प्रतिक हो गया है। इस हालात में आप अपने आपको चक्रव्यूह में ही समझिए अगर इस दौरान आपको कोई इमरजेंसी आ जाए और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप जब हैं जबकि आपको किसी न किसी जुगाड़ या उठा-पटक से वहाँ से गुजरीने का रास्ता मिल जाये। अन्यथा जाम लगना, ट्रैफिक बढ़ना आम बात हो गयी है। आप आधे घण्टे में शहर घूम कर आ सकते हैं लेकिन मालवीयनगर राजापार्क से सड़क क्रॉस करना या गुज़रना बहुत दिलेरी का काम है।

संबंधित थाने की चेतक पुलिस महाराणा प्रताप के चेतक की तरह मुस्तेद नहीं कि हर आने-जाने वाले राहगीरों के लिए मार्ग बनाने की ज़रूरत उठये बल्कि



आवासीय गूणियों पर व्यवसायिक गवन और गतिविधियों की झलक एक नज़र में- सुआलाल मार्ग (एसएल मार्ग) मालवीयनगर, बजाज नगर थाना क्षेत्र, जयपुर।



सीएमएचओ सेकेंड, डॉ. हंसराज भदालिया

डॉ. भदालिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, आदर्शनगर राजापार्क जैसे अफसर सिस्टम में एक आदर्श उदाहरण हैं जो प्रयासरत हैं कि बिगड़े हुए सिस्टम में सुधार हो। इनके संज्ञान में आते ही अवैध मामलों पर इनकी त्वरित कार्यवाही और विभाग के सम्बंधित अफसरों से जाँच-पड़ताल में सख्ती एक उदाहरण पेश करती है बिगड़े हुए सिस्टम में।



आँखों पर समझौते की पट्टी बाँधकर मुँह पर चुप्पी लगाए वह रोज एक तरफ़ खड़ी तमाशा देखती है।

आखिर क्या वजह है कि लगातार शहर

के हर मार्ग होटल या ढाबे में तब्दील होते जा रहे हैं? हर कोई स्ट्रीट फूड, कैफे, बार, ढाबा, होटल बनाने और बसाने में जुट पड़ा है। निःसन्देह आवासन मण्डल द्वारा जयपुर

चौपाटी जैसे प्रोजेक्ट्स लाना एक नवीनीकरण है और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स नगर-निगम या जेडीए लाकर इन अवैध होटलों, ढाबों या रेस्टोरेंट्स पर लागू लगा

सकता है। रोजगार के अवसर दे सकता है। मालवीय नगर सुआलाल मार्ग की झलकियाँ देखते-देखते लगभग एक दो वर्ष में यह व्यवसायिक मार्ग में बदल गया।



महेंद्र सोनी, आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

आयुक्त महेंद्र सोनी को नगर निगम ग्रेटर में पदासीन हुए दो माह पूरे होने को हैं लेकिन बैठकों से अब तक फ़ी नहीं हो पाए हैं कि आम जनता की दुहाई सुनने का समय निकाल सकें। यह कटु सत्य है कि सिस्टम की कमजोरियों और कारगुजारियों से भिड़ना हर किसी अफसर का माहल नहीं हो सकता। इसीलिए अब तक ऐसी कोई क्रांति ग्रेटर नगर निगम में देखने को नहीं मिल पाई है। हालांकि ग्रेटर नगर निगम में उनके जॉइन करते वक्त काफी उठा-पटक पापदों और अधिकारियों के बीच चल रही थीं और इन्हीं सब स्थितियों को केन्द्रित करके आयुक्त सोनी ने कहा था कि किन्हीं कारणों से कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं, उनको देखा जाएगा लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी नहीं किया जाएगा। कार्यों को उनकी गुणवत्ता और मेरिट के अनुरूप ही देखा जाएगा। जिससे सामंजस्य भी बढ़े। सभी का ऑब्जेक्टिव आम जनता के कार्यों को करना ही है ऐसे में कोई निजी अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आयुक्त सोनी स्वयं अपने अहंकार और बेपरवाही को कहीं छोड़कर आ पाए हैं?



रश्मि काँकरिया, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर

अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, (फूड इस्पेक्टर) जैसे अफसर एक या दो नहीं बल्कि इनका समूह है जो सक्रिय है अवैध व्यापार को बढ़ावा देने में। इनको जन-धन हानि और अनर्गल हानियों से कोई सरोकार नहीं। -दीपक कुमार सिंधी



